राजस्थान सरकार

निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान
एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण,जयपुर

डा. एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लाक–पंचम, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302001
दूरभाष : 0141-2708836 , FAX : 0141-2709025
e-mail : dir-lit-rj@nic.in

बाल पैन ब्लेक मय अतिरिक्त एक रिफिल एवं यू.पिन स्टील की निविदा

निविदा प्रपत्र

साक्षर भारत

1. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक : 8 जून, 2010 समय 1.00 बजे
2. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 8 जून, 2010 समय 2.00 बजे
3. निविदा खोलने की दिनांक एवं समय : 8 जून, 2010 समय 3.00 बजे

निविदा प्रपत्र मूल्य – **100/-** रूपये

निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान तथा
राजस्थान राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जयपुर

निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 08.06.2010 *दोपहर* ***2-00*** *बजे तक*

निविदा खोलने की तिथि 08.06.2010 *सांय* ***3-00*** *बजे*

<u>निविदा प्रपत्र</u>

निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न शर्तो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें एवं इसी के अनुरूप निविदा के लिए आवेदन करे । कोई शर्त अथवा उसका भाग अस्पष्ट लगें तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक साक्षरता एवं सतत् शिक्षा राजस्थान, जयपुर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें।

1 निविदा का नाम : **बाल पेन ब्लेक मय अतिरिक्त एक रिफिल एवं यू.पिन स्टील**

2 निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पूरा पता (सम्पर्क के लिए दूरभाष/ मोबाईल नम्बर अंकित करे) ....
....
....

3 निविदा सूचना संख्या क्रमांक निसासशि/जय/सा.भा/सर्वे निविदा/2010/ दिनांक

4 निविदा शुल्क विवरण : राशि रुपये .... नकद रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है ।

5 बयाना राशि विवरण : बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... (बैंक का नाम).. .... नगद रसीद संख्या .... दिनांक .... रुपये ....बयाना राशि के पेटे संलग्न कर दिया गया है।

6 दरे संलग्न प्राईस बिड प्रपत्र में प्रस्तुत कर दी गई है।

नोट : हमने निविदा सूचना तथा संलग्न शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा इनसे बाध्य होना स्वीकार करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

ब्लैक वाल पेन एवं यू.पिन क्रय करने हेतु खुली निविदा के लिए शर्तें

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए ।

1. निविदा फार्म जो निदेशालय से प्राप्त किया गया है, अथवा विभागीय वेबसाइट (www.rajliteracy.org) से डाउन लोड भी किया गया है, मूल रूप से जमा कराना होगा । मूल निविदा फार्म के अतिरिक्त अथवा उसकी फोटो स्टेट स्वीकार्य नहीं होगी । निविदा प्रपत्र टंकित अथवा स्याही पैन/बालपैन से भरी जानी चाहिए। पैंसिल से भरी हुई निविदा मान्य नहीं होगी ।

2. निविदा में लेखन सामग्री के विनिर्मता बोनाफाईड डीलर अथवा उनके ओथोराईज्ड डीलर या मूल रूप से इस क्षेत्र में काम करने वाली फर्मो के द्वारा ही भाग लिया जा सकेगा। ऐसे निविदाकार भरी हुई निविदा मजबूत एवं सील बंद लिफाफे में बंद कर, जिसके ऊपर कार्य का नाम **''बाल पैन ब्लेक मय अतिरिक्त एक रिफिल एवं यू.पिन स्टील''** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ।

3. निविदा दाता अपनी भरी हुई निविदा उपरोक्त शर्त सं.–2 की स्पष्टतः पालना करते हुए निदेशक साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, डॉ0 एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, पंचम ब्लॉक, जयपुर के पते पर व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा दिनांक 08.06.2010 को दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओ पर विचार नहीं किया जावेगा एवं वह स्वतः ही रदद् समझी जावेगी ।

4. निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि रूपये 10000/– का बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा राज. एवं सचिव, राजस्थान राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण जयपुर, के नाम से आवश्यक रूप से संलग्न होना चाहिए । बयाना राशि नकद जमा कराने पर नकद की रसीद की फोटो प्रति संलग्न करें । बिना बयाना राशि अथवा निर्धारित से कम राशि के प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । यदि निविदा प्रपत्र को वेबसाईट से डाउन लोड किया गया है तो निविदा शुल्क की राशि निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा निरस्त समझी जावेगी।

5. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक 08.06.2010 को ही सांयकाल 3.00 बजे खोला जायेगा । यदि उक्त निर्धारित समय पर कोई निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तब भी विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इंतजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोल लिया जावेगा ।

6. निविदा के साथ बिक्री कर शोधन प्रमाण–पत्र संबंधित सर्किल के वाणिज्य कर अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

7. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी । इसमें कोई त्रुटियां (Errors)/कटिंग अथवा उपरिलेखन नही होना चाहिए । यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो पूर्व अंकन को एक लाईन से काट कर दूसरी प्रविष्टी अलग से स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए । दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि अथवा अन्य कर जो लागू हो, को पृथक से दिखाना चाहिए ।

8. विधि मान्यता : निविदाएं, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

9. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा ।

10. फर्म द्वारा संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेंगा या उप – भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा ।

11. निविदा दाता अथवा उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पक्ष में सर्मथन कराने की अनैतिक चेष्ठा की जाती है तो ऐसे निविदाकार को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

12. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ. ओ. आर उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों तथा चुंगीकर, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर/VAT को शामिल करना चाहिए । स्थानीय प्रदायों (Supply) के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए विभाग द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के भण्डार में दी जाएगी ।

13. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि 7 दिन के भीतर सप्लाई करेगा ।

(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) – स्वीकृत फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति आदेश में दी गई समयावधि से विलम्ब किया जाता है तो विलम्ब की गई अवधि के लिए परिनिर्धारित क्षति पूर्ति हेतु वसूली/कटौती की जावेगी। वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है ।

(1) क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए — 2.5 प्रतिशत

ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिए — 5 प्रतिशत

ग). आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि से तीन चौथाई से अनधिक अवधि के विलम्ब के लिए — 7.5 प्रतिशत

ध) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए — 10 प्रतिशत

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा ।

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।

(4) यदि प्रदाय कर्ता (Supplier) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है ,तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है । किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता की नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

14. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक एवं ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व विभाग से सम्पर्क कर सन्देह को दूर करेगा।

15. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस. आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

16. नमूना : अनुसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे । नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए एक रसीद दी जाएगी ।

17. प्रत्येक नमूने या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के हस्ताक्षर के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांध कर उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।

18. सामग्री प्रदाय करते समय संविदाकार को चाहिए कि वह स्वीकृत नमूने के अनुसार ही सप्लाई करे। यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है ।

19. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit) –

(i) सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने से 3 दिन की अवधि के भीतर स्वयं के खर्चे पर एक करार रू. 100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा। करार का प्रारूप निदेशालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

(ii) स्वीकृत निविदाकार को स्वीकृत निविदा राशि के पॉच प्रतिशत की राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी । प्रतिभूति निम्न में से किसी एक रूप में स्वीकार की जा सकेगी –

(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा एवं सचिव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकारण जयपुर के पक्ष में देय होगा।

(ख) डाक घर बचत बैंक पासबुक जिसे विधिवत गिरवी (pledge) रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेन्स सेविंग सर्टिफिकेटस्, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रीप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो, को गिरवी रखना होगा । इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (Surrender Value) पर स्वीकार किया जायेगा ।

(iii) निविदाकार यदि चाहे तो निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित करा सकेगा ।

(iv) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(v) प्रतिभूति की राशि समस्त (एग्रीड) ठेके के पूर्ण होने की तारीख से दो माह पश्चात लौटा दी जावेगी।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture) –
प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (Forfeit) किया जा सकेगा ।

(i) जब संविदा की शर्तो का उल्लंधन किया गया हो ।
(ii) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के लिए मामले में युक्तियुक्त समय पर पूर्व नोटिस दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निः शुल्क प्रस्तुत की जायेगी ।

20. बयाना राशि का समपहरण (Forfeiture) –

निम्नलिखित मामलों में बयाना राशि को जब्त/समपहृत (Forfeit) किया जा सकेगा –

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार किये जाने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।
(ii) यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर, करार का निष्पादन नहीं करता है ।
(iii) जब वह विहित समय के भीतर प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है ।
(iv) क्रय आदेश देने के पश्चात् निर्धारित समय के भीतर आपूर्ति नही करता है अथवा निविदा शर्तो की पालना करने में असमर्थ रहता है ।

21. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो ऐसी शर्त मान्य नहीं होगी एवं वह स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो ।

22. किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा नहीं करने तथा बिना कोई कारण बतलाए रद्द करने का अधिकार निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पास सुरक्षित होगा।

23. निविदा को न्यूनतम दर पर स्वीकृत किया जायेगा किन्तु निविदाकार का यह अधिकार नहीं होगा । विभाग गुणावगुण के आधार पर न्यूनतम दर से भिन्न अन्य उच्च दर पर कार्य करवा सकता है । यह कार्य किसी एक निविदाकार अथवा एक से अधिक निविदाकार को स्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास आरक्षित रहेगा ।

24. सामग्री का नमूना संलग्न करना आवश्यक है। नमूना संलग्न न होने पर न्यूनतम दर दाता फर्म से कय करने हेतु विभाग बाघ्य नहीं होगा।

25. सभी आइटमों को जोडकर आने वाली न्यूनतम लागत के आधार पर किसी एक फर्म को भी कय आदेश दिया जा सकता है, किन्तु विभाग इसके लिए बाध्य नहीं होगा। विभाग चाहे तो तो अलग–2 फर्मो को न्यूनतम दर के आधार पर भी कयादेश दे सकता है। इस संबंध में निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा का निर्णय अन्तिम होगा।

26. निविदा में दर्शाइ गई मात्रा अनुमानित है। जिले आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा घटाया/बढ़ाया जा सकता है। यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो सफल निविदाकार अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा।

निदेशक,

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 26 अंकित शर्ते मैंने/हमने ध्यानपूर्वक पढ लिया है एवं मै/हम इनको स्वीकार करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैंलिग/ विपणन एजेण्ट हूँ/फर्म स्वयं/हमारे स्वामित्व की है ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जाएगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान तथा
राजस्थान राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जयपुर

<u>प्राइस बिड</u>

(''बाल पैन ब्लेक मय अतिरिक्त रिफिल एवं यू.पिन स्टील'')

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	दर प्रति नग (स्पेसिफिकेशन के आधार पर अलग–अलग)	
			अंकों	शब्दों में
01	बॉलपैन (ब्लैक) मय एक अतिरिक्त रिफिल सहित	45000 नग		
	(i) 045 REYNOLDS Fine carbure			
	(ii) CELLO Finegrip			
	(iii) Montex 0.6 HY-SLIM			
02	यू पिन 26 एमएम स्टील	4,50,000 नग (4500 पैकिट)		

शर्तेः–

1. दरें सुस्पष्ट अक्षरों में प्रति नग अंकों एवं शब्दों दोनों में भरी जावे।
2. सामग्री की आपूर्ति निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राज. जयपुर के स्टोर में करनी होगी।
3. पैन एवं रिफिलों की स्याही ताजा होनी चाहिए तथा सूखी नहीं होनी चाहिए यदि ऐसी सामग्री पायी गयी तो स्वीकार नहीं की जायेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर